संख्या–10 /xxxvi(1)एक/10–237जी0/2001

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 02 फरवरी, 2010

विषय– महाधिवक्ता कार्यालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 34/xxxvi(1)/2009–237जी/2001 दिनांक–06 फरवरी, 2009 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड के लिये सृजित 06 अस्थायी पदों (सहायक अधीक्षक 01 पद, प्रवर वर्ग सहायक 04 पद तथा अवर वर्ग सहायक 01पद) की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जांए, दिनांक 1–3–2010 से 28–2–2011 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या– 10– एक (6)/ छत्तीस (1)न्याय विभाग/2004 दिनांक 6–8–2004 एवं शासनादेश संख्या– 100सी0 एम0/xxxvi(1)/2007 दिनांक 8–4–2008 द्वारा किया गया था ।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00 –आयोजनेत्तर –114–विधि सलाहाकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)–03– महाधिवक्ता–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92,(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 10 (1)/xxxvi(1)एक/10–237जी/2001समदिनांकित्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बोनाल)
अपर सचिव,

nirantrata